No.F.15(3)/78-WLP/GIS
Government of India
Ministry of Finance
(Department of Expenditure)

New Delhi, the 30th March, 1985.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 - Provision of a further option to join the Scheme to employees who had earlier opted to remain out of the Scheme.

In this Ministry's Office Memorandum No.F.15(3)/78-WLP, dated 20.2.1982 and 14.2.1983, a fresh opportunity was allowed to those Central Government employees, who were in service as on 1.11.1980 and had opted to remain out of the Scheme in accordance with the provision contained in para 4.2 of the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980, to become members of the Scheme from the 1st January, 1983/1984 as stated therein subject to the prescribed conditions.

2. Though a substantial number of these employees have since become members of the Scheme by availing of the opportunity allowed to them, requests are still being received on behalf of employees who initially opted to remain out of the Scheme and did not also avail of the opportunities allowed in February,1982 and February,1983 for one reason or the other, for permission to become members of the Scheme now.

3. The matter has been considered and it has been decided to allow a further opportunity to those of the employees who were in service as on 1.11.1980 and who had opted to remain out of the Scheme, to become members of the Scheme from 1.1.1986, if they submit their requests in writing in the enclosed Form No.10 not later than 30th June,1985 on the following conditions:-

(i) the membership shall commence from the commencement of normal working hours on the 1st January,1986;

(ii) no insurance cover shall be provided nor any premium shall be recovered therefor until the commencement of the membership; and

(iii) no benefits shall accrue under the Scheme nor any subscription shall be recovered therefor until the commencement of the membership.

4. On receipt of the written request in Form No.10, the Head of Office shall arrange to get the same pasted in the Service Book alongwith the option already exercised and attest the following entry in the Service Book:-

"Membership of the Central Government Employees Group Insurance Scheme. 1980 allowed with effect from

(contd. from pre-page)

1.1.1986 on his written request in terms of Ministry of Finance, Department of Expenditure, O.M.No.F.15(3)/78-WIP/GIS, dated 30.3.1985.

5. All employees concerned are also hereby informed that no further opportunity will be given to become members of the Scheme, if they again decide to remain out of the Scheme.

(Hindi version is enclosed.)

K. Ratan
(K. RATAN)
Deputy Secretary to the Government of India.

To

All Ministries/Department of the Government of India (as per standard list).

No.F.15(3)/78-WIP/GIS. Dated: the 30th March, 1985.

Copy forwarded to:-

1. C&AG of India, New Delhi.
2. UPSC, New Delhi,
3. Election Commission, New Delhi.
4. Lok Sabha Sectt. and Rajya Sabha Sectt..
5. Supreme Court of India, New Delhi.
6. All State Governments and Union Territory Administrations.
7. Central Vigilance Commission, New Delhi.
8. Commission for S.C.& S.T., New Delhi.
9. Railway Board, New Delhi.
10. President's Sectt./Vice-President's Sectt./Prime Minister's Office/Cabinet Sectt..
11. Office of the Military Secretary to the President.
12. Planning Commission, New Delhi.
13. Secretary, Staff Side, National Council, JCM, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi.
14. All Members of the Staff Side of the National Council of JCM.
15. All India Services Division, Deptt. of Personnel &AR.
16. All Integrated Financial Advisers of Administrative Ministries.
17. Controller of Accounts/Pay & Accounts Officers of All Ministries/Departments.
18. Controller General of Accounts, Ministry of Finance,
19. All offices/Branches in the Deptt. of Expenditure,
20. Deptt. of Personnel and AR, (JCM-Estt.C)

K. Ratan
(K. RATAN)
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA.

सं0 एफ0 15(3)/78-डब्ल्यू0आई0पी0/जी. आई. एस.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1985

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980- जिन कर्मचारियों ने पहले योजना से बाहर रहने का निर्णय लिया था उन्हें इस योजना में सम्मिलित होने के लिए एक और विकल्प देने की व्यवस्था ।

. . . . . .

इस मंत्रालय के 20.2.1982 तथा 14.2.1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. 15(3)/78-डब्ल्यू. आई. पी. में, ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, जो 1.11.1980 को सेवारत थे तथा जिन्होंने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980 के पैरा 4.2. में निहित प्रावधान के अनुसार योजना से बाहर रहने का विकल्प लिया था, निर्धारित शर्तों के अधीन उसमें उल्लिखित प्रकार से । जनवरी, 1983/84 से योजना के सदस्य बनने के लिए एक नया अवसर प्रदान किया गया ।

2. यद्यपि उनको प्रदान किए गए अवसर का लाभ उठाते हुए बहुत बड़ी संख्या में ये कर्मचारी अब इस योजना के सदस्य बन गए हैं, तथापि, ऐसे कर्मचारियों की ओर से, जिन्होंने प्रारम्भ में योजना से बाहर रहने का विकल्प लिया था तथा किसी न किसी कारण से फरवरी, 1982 तथा फरवरी, 1983 में प्रदान किए गए अवसरों का भी लाभ नहीं उठाया, अब इस योजना के सदस्य बनने की अनुमति प्राप्त करने के लिए अभी भी अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं ।

3. इस मामले पर विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि उन कर्मचारियों को, जो 1.11.1980 को सेवारत थे तथा जिन्होंने योजना से बाहर रहने का विकल्प लिया था, 1.1.1986 से योजना के सदस्य बनने का एक और अवसर प्रदान किया जाए बशर्ते कि वे 30 जून, 1985 से पहले संलग्न फार्म सं0 10 में लिखित रूप में निम्नलिखित शर्तों पर अनुरोध करें :-

(i) सदस्यता 1 जनवरी, 1986 से सामान्य कार्य समय आरम्भ होने से शुरू होगी ;

(ii) सदस्यता आरम्भ न होने तक कोई बीमा सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी और न ही उसके लिए कोई प्रीमियम वसूल किया जाएगा ; और

(iii) सदस्यता आरम्भ न होने तक इस योजना के अन्तर्गत कोई लाभ नहीं मिलेगा और न इसके लिए कोई अंशदान ही लिया जाएगा ।

4. फार्म संख्या 10 में लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, कार्यालय अध्यक्ष इसे, पहले से दिए गए विकल्प के साथ, सेवा-पुस्तिका में चिपकवाने की व्यवस्था करेंगे और सेवा-पुस्तिका में निम्नलिखित प्रविष्टि को अनुप्रमाणित करेंगे :

. . . . 2/.

"केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980 की सदस्यता के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय-विभाग के दिनांक 30.3.1985 . . . . . के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. 15(3)/78-डब्ल्यू. आई. पी./जी. आई. एस. के अनुसार उनके लिखित अनुरोध पर 1.1.1986 से अनुमति प्रदान की गई।"

5. सभी संबंधित कर्मचारियों को भी एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वे पुनः योजना से बाहर रहने का निर्णय करते हैं तो उन्हें योजना का सदस्य बनने का आगे और कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

के. रतन

(के. रतन)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

संख्या एफ. 15(3)/78-डब्ल्यू. आई. पी./जी. आई. एस. दिनांक: 30 मार्च, 1985

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :

1. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली। 3. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
4. लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय।
5. भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
6. सभी राज्य सरकारें तथा संघ शासित प्रशासन।
7. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
8. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
9. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
10. राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री का कार्यालय/मंत्रि-मण्डल सचिवालय।
11. राष्ट्रपति के सैनिक सचिव का कार्यालय। 12. योजना आयोग, नई दिल्ली।
13. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, संयुक्त परामर्श दाता तंत्र, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
14. संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
15. अखिल भारतीय सेवा प्रभाग, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग।
16. प्रशासनिक मंत्रालयों के सभी एकीकृत वित्तीय सलाहकार।
17. सभी मंत्रालयों/विभागों के लेखा नियंत्रक/वेतन तथा लेखा अधिकारी।
18. महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।
19. व्यय विभाग के सभी अधिकारी/शाखाएं।
20. कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग (जे. सी. एम.-संस्था. ग)

के. रतन

(के. रतन)
उप सचिव, भारत सरकार